न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 10 इलाहाबाद।
UPAD040294572022

कम्प्यूटर नं० /2022

प्रक्रीण वाद संख्या – /12/2022

कु० राधिका बनाम सत्य नारायण आदि
थाना – उतरांव

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 का निस्तारण</u>

<u>09-12-2022</u>

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी **कु० राधिका** द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 विपक्षीगण **सत्य नारायण, सत्य प्रकाश एवं शिव कुमार** के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 15-07-2022 को शाम लगभग 5-00 बजे अपनी छोटी बहन के साथ खेत से घर वापस आ रही थी, अचानक रोड पर विपक्षीगण रोड पर आ गए और तीनों लोगों ने मिलकर उसे रोकर कर मारपीट करते हुए गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे। प्रार्थिनी व उसकी बहन भागते हुए अपने घर घुस गयी परन्तु विपक्षीगण उसके घर में घुसकर प्रार्थिनी के कपड़े फाड़ कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। प्रार्थिनी की बहन के शोरगुल की आवाज पर गांव के काफी लोग आ गए जिन्होंने प्रार्थिनी को बचाया। मौके पर प्रार्थिनी के माता-पिता तथा अन्य सदस्य नही थे। विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बंध में पुलिस के उच्चधिकारियों को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तदोपरांत प्रार्थिनी ने उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति दाखिल किया है।

थाने की आख्या के अनुसार विपक्षीगण के सम्बंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका के आवेदन के तथ्यों के सम्बंध में थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 15.07.2022 को आवेदिका की माता वसुन्धरा व अन्य लोगों ने विपक्षी सत्य नारायण की पत्नी व पुत्री के साथ घर से मिट्टी हटाने को लेकर मारपीट किया था जिसके सम्बंध में विपक्षी सत्य नारायण द्वारा आवेदिका की माता व अन्य के विरूद्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 15.07.2022 को मु०अ०सं० 147/2022 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कराया था तथा विवेचनोपरांत आरोपपत्र सं० ए/15/22 दिनांक 21–07–2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त मुकदमें से नाराज होकर आवेदिका द्वारा अपने परिवार के बचाव हेतु विपक्षीगणों के विरूद्ध पेशबंदी में प्रार्थनापत्र दिया गया है। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित अन्य आरोप झूठे, मनगढंत तथा निराधार होने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

आवेदिका के आवेदन के तथ्यों एवं थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उभयपक्षों के बीच पूर्व में विवाद होना बताया गया है। परन्तु आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में घटना दिनांक 15.07.2022 को किस कारण हुई ऐसा कोई उल्लेख आवेदिका ने नही किया है। मात्र इतना कहा है कि आवेदिका अपनी छोटी बहन के साथ खेत से अपने घर वापस आ रही थी अचानक रोड पर विपक्षीगण रोक कर उसके साथ मारपीट करने लगे तथा गाली गलौज करने लगे। उसके साथ अन्य आरोप लगाए जाने का भी कथन किया है जिसका कोई कारण आवेदिका द्वारा नही बताया गया है। अतः थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ने मामले के सही तथ्यों को छिपा कर तथ्य को बढ़ा–चढ़ा कर अपने आवेदन में प्रस्तुत किया है। अतः मामले के तथ्य एवं पारिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थिनी **कु० राधिका** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) निरस्त किए जाने योग्य है|

आदेश

प्रार्थिनी **कु० राधिका** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है| पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–09–12–2022

(शैलेश कुमार मौर्य)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं0 10 इलाहाबाद।
जे०ओ० कोड नं० 2290